न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र/47/2019

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बृज औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.......प्रार्थी सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1–मै0 कृष्णा एग्रो इण्डस्ट्रीज एक सुभाष नगर ,भरतपुर ।
2–प्रदीप कुमार पुत्र सुखवीरसिंह निवासी एक सुभाषन गर,भरतपुर ।
3–सन्दीप कुमार पुत्र सुखबीरसिंह निवासी एक सुभाष नगर भरतपुर।
3–श्रीमति ललिता देवी पत्नी सुखबीरसिंह निवासी एक सुभाष नगर भरतपुर ।

.....अप्रार्थी/ऋणी गारन्टर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्सन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश **दिनांक 17.12.2019**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बावत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 27.2.2013 को प्रार्थी बैंक से 3500000/– रुपये ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने एक सुभाष नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर स्थित अपनी अचल सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग व्यवसायिक व आवासीय सम्पत्ति जिसका ऐरिया 198.11 वर्गगज जो श्रीमती ललिता देवी पत्नी सुखबीरसिंह के नाम है, को प्रार्थी बैंक के हक में बन्धक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 29.6.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 1.7.2019 तक 3656827/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी./ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 2.7.2019 को अप्रार्थी. ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 ऋणी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी. ऋणी द्वारा ऋण एवं देय ब्याज राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

.........................2

प्रा.पत्र / 47 / 2019
बैंक आफ बड़ोदा. बनाम मै0 कृष्णा एग्रो0

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 2.7.2019 अप्रार्थी / ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी0 ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी. ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने एक सुभाष नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर स्थित अपनी अचल सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग व्यवसायिक व आवासीय सम्पत्ति जिसका ऐरिया 198.11 वर्गगज जो श्रीमती ललिता देवी पत्नी सुखबीरसिंह के नाम है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:39:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: